दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली कार्मिक प्रभाग (<u>चिकित्सा कक्ष</u>)

दिनांक:05.10.2017

परिपत्र

सूचित किया जाता है कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से एसटीसी के पैनल से हटाया जाता है।

यदि कोई कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराता है तो डिस्चार्ज के समय उन्हें अस्पताल को पूरा भुगतान करना होगा तथा उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती होकर इलाज पर किये गए खर्च की प्रतिपूर्ति पैनल रहित अस्पताल में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति अनुकूल नीति के अनुसार की जायेगी।

आर्गाया

(आर.गणेश)

संयुक्त महाप्रबंधक(कार्मिक)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव निदेशकों /मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव मुख्य महाप्रबंधक-वित्त (बीआरडी)के निजी सचिव नोटिस बोर्ड

THE STATE TRADING CORPORATION IOF INDIA LTD: NEW DELHI PERSONNEL DIVISION [MEDICAL SECTION]

DT; 05-10-2017

CIRCULAR

This is to inform that MAHARAJA AGRASEN HOSPITAL, Punjabi Bagh, New Delhi ceases to be on the panel of STC with immediate effect.

If any employee / Ex-employee takes indoor treatment in the above noted hospital, he/she will have to make payment to the hospital at the time of discharge, and the reimbursement for the expenditure incurred on the indoor treatment in the above hospital would be made as per the policy pertaining to reimbursement of expenditure in non empanelled hospital.

[R.GANESH] JT.GENERAL MANAGER[P]

To:

EX.SECY TO CMD PS TO DIRs/CVO CGM-Fin.[BRD]

BOTICE BOARD